तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2017 / 4940 / बाड़मेर** **दुर्गाराम वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह** **निगरानी / टीए / 2017 / 5311 / बाड़मेर** **हेमाराम वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/24	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** ---- **उपस्थिति :–** श्री रोहित सोनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते दुर्गाराम वगैरह। श्री अजयपाल डिढारिया, विद्वान अधिवक्ता वास्ते हेमाराम वगैरह। ---- **आदेश** 1– निगरानी संख्या 4940/2017 के प्रार्थीगण दुर्गाराम एवं निगरानी संख्या 5311/2017 के प्रार्थी हेमाराम द्वारा हस्तगत निगरानियां एक–दूसरे के विरूद्ध अपने–अपने तथ्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न अनुतोष को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई, जो कि मूल रूप से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील संख्या–61/2015 बउनवान दुर्गाराम व अन्य बनाम हेमाराम व अन्य में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13–07–2017 से व्यथित होकर मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 2– सुलभ संदर्भ हेतु प्रकरण के हस्तगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण हेमाराम वगैरह ने अप्रार्थीगण दुर्गाराम वगैरह के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर के समक्ष ग्राम मगने की ढाणी (कुडला) में स्थित भूमि खसरा संख्या 481 रकबा 110 बीघा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 532 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया तथा उक्त मूल वाद के साथ धारा–212 अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के दादा चौखाराम के कब्जे काश्त की भूमि रही है जो पैतृक भूमि है, जिसका पट्टा दुर्गाराम के नाम से जारी हुआ था। विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व सहदायिकी होने से इसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक बनता है। चूंकि विपक्षी दुर्गाराम उक्त भूमि को हस्तांतरण व गिरवी रखने की धमकी देता है तथा प्रार्थीगण को उनके हक से वंचित करना चाहता है। अतएव प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौक व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने इसका जवाब पेश कर विवादित भूमि को स्वअर्जित भूमि होना एवं प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनना अभिकथित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। योग्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2017 / 4940 / बाड़मेर** **दुर्गाराम वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह** **निगरानी / टीए / 2017 / 5311 / बाड़मेर** **हेमाराम वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 24-6-2015 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 02-08-2008 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किये जाने का आदेश पारित कर दिया। 3- उक्त आदेश के विरूद्ध दुर्गाराम वगैरह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें योग्य अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 13-07-2017 पारित करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-6-2015 को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया तथा उभय पक्षों को अपीलार्थी को काश्त से नहीं रोकने एवं अपीलार्थीगण को विवादित आराजी का अग्रिम बेचान नहीं करने का आदेश पारित कर दिया। 4- उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 13-07-2017 से व्यथित होकर दोनों पक्षकारों द्वारा ये निगरानीयां मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिनका सुविधा की दृष्टि से इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। 5- उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस निगरानी संख्या 4940/2017 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक आराजी नहीं होकर उनकी स्वर्जित भूमि है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि दुर्गाराम द्वारा अपने भाईयों से अलग होकर पैमाईश से पहले कुडला के भूतपूर्व जागीरदारों से स्वयं के काश्त हेतु प्राप्त की गई था तथा पैमाईश के समय उक्त आराजी दुर्गाराम के नाम दर्ज हुई थी, जिस पर दुर्गाराम का ही कब्जा व काश्त था एवं आज भी निरंतर है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पिता के जीवनकाल में उसके किसी भी वारिसान का कोई हक व हिस्सा नहीं होता है। स्पष्टतया वाद हेतुक ही उत्पन्न नहीं होता हैं। प्रार्थी दुर्गाराम रेकार्डेड खातेदार है तथा कुछ आराजी प्रार्थी संख्या 3 मुमल को बेचान कर दी थी, जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 3 सद्भावी क्रेता है तथा प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार हे, जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एवं निहित क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थीगण को अंतरिम आदेश दिनांक 02-08-2008 व आदेश दिनांक 24-06-2015 द्वारा रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं दिनांक 13-07-2017 द्वारा अग्रिम बेचान से पाबंद कर दिया गया, जो किसी भी दृष्टि से उचित एवं वैध नहीं है। अतएव प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त आदेशों को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता श्री रोहित सोनी ने अपने कथनों के समर्थन में 2022 आरबीजे पेज 745, 2022(2) आरआरटी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2017 / 4940 / बाड़मेर** **दुर्गाराम वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह** **निगरानी / टीए / 2017 / 5311 / बाड़मेर** **हेमाराम वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेज 1047 एवं आरआरटी (1) पेज 633 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर ध्यान आकृष्ट करवाया गया। 6– जबकि इसके विरोध में अप्रार्थी एवं निगरानी संख्या 5311/2017 के प्रार्थी हेमाराम वगैरह का कथन रहा कि विवादित भूमि बाबत् कर्ता खानदान होने से वक्त सेटलमेंट का पट्टा दुर्गाराम के नाम जारी हुआ तथा दुर्गाराम के पहले उक्त भूमि दुर्गाराम के पिता चौखाराम के कब्जे में थी तथा चोखाराम वक्त सेटलमेंट फौत होने से नाबालिग चोखाराम के पुत्र दुर्गाराम के नाम पट्टा जारी हुआ तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त परिवार है, जिसका मुखिया दुर्गाराम है, जिसने गलत तरीके से 45 बीघा भूमि का बेचान अपनी पुत्रवधू मूमल को कर दिया। इस प्रकार विवादित भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है, जिस पर उनका भी बराबर–बराबर हक हिस्सा बनता है, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने भी अपने आदेश में मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं भूमि का बेचान आदि नहीं किये जाने का विधिनुरूप आदेश पारित किया, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से काश्त से नहीं रोकने की हद तक विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए भूमि का बेचान नहीं करने हेतु आदेश प्रदान किये गये। ऐसी स्थिति में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–06–2015 को यथावत् रखते हुए विवादित भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा भूमि आदि का बेचान नहीं करने का आदेश प्रदान किया जाये। 7– उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण हेमाराम वगैरह ने प्रतिवादी दुर्गाराम वगैरह के विरूद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा, बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा इसके साथ धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने दिनांक 02–08–2008 को दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनना मानते हुए अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 13–8–08 तक विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के कथित हिस्से की रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया एवं आदेशिका दिनांक 30–03–09 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करने एवं गिरवी नहीं रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया, जिन्हें आगे बढ़ाया जाता रहा। तत्पश्चात् दिनांक 24–6–2015 द्वारा मूल स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2017 / 4940 / बाड़मेर** **दुर्गाराम वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह** **निगरानी / टीए / 2017 / 5311 / बाड़मेर** **हेमाराम वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 2–8–2008 को मूल वाद के निर्णय तक कंफर्म कर दिया गया। योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी आदेश दिनांक 14–7–2017 से अपीलार्थी को काश्त से नहीं रोकने किन्तु अपीलार्थी को विवादित आराजी का अग्रिम बेचान नहीं करने का आदेश पारित किया गया। यही सही है कि प्रतिवादी दुर्गाराम राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य मूल विवादित बिन्दु विवादित आराजी के पैतृक भूमि होने अथवा दुर्गाराम की स्वर्जित भूमि होने संबंधी है तथा प्रतिवादी दुर्गाराम ने भूमि स्वर्जित होने संबंधी कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते है। चूंकि मूल वाद उभय पक्षों के मध्य विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिनमें दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना है। यदि वाद के विचारण के दौरान विवादित भूमि अन्यत्र अंतरित अथवा हस्तांरित हो जाती है अथवा उसे गिरवी या हाईपोथिकेशन आदि कर दिया जाता है तो इससे मूल प्रकरण के उचित न्याय निर्णय में काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा एवं अनावश्यक पेचिदगियां भी उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण दुर्गाराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका संख्या 4940/2017 खारिज किये जाने एवं प्रार्थी हेमाराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका संख्या 5311/2017 स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है। 8– परिणामतः प्रार्थीगण दुर्गाराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका संख्या 4940/2017 खारिज की जाती है तथा प्रार्थी हेमाराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका संख्या 5311/2017 स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–07–2017 को अपास्त किया जाता है तथा योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–06–2015 की पुष्टि की जाकर उभय पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के राजस्व व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। उपरोक्तानुसार, उक्त दोनों निगरानियां निस्तारित की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2017 / 4940 / बाड़मेर** **दुर्गाराम वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह** **निगरानी / टीए / 2017 / 5311 / बाड़मेर** **हेमाराम वगैरह बनाम दुर्गाराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए